कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 07 अक्टूबर 2024

"नाशवान उत्पादों के हवाई परिवहन और कार्गो हैंडलिंग के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर अध्ययन, हवाई परिवहन द्वारा निर्यात का समर्थन करने के लिए प्रमुख सरकारी पहल, भारत में वर्तमान परिदृश्य और प्रमुख कृषि और बागवानी निर्यातक देशों के लिए इसे बेंचमार्क बनाने के लिए आगे का रास्ता और संभावित नीतिगत सिफारिशों" के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना

1. एपीडा के बारे में

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का एक प्रमुख संगठन है। यह बाजार विकास , गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन के माध्यम से इन उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपीडा वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी को भी सुगम बनाता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम , 1985 के अनुसार एपीडा को सौंपे गए प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास,
(ii) अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण,
(iii) निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक एवं विनिर्देश तय करना,
(iv) मांस और मांस उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनका निरीक्षण करना,
(v) अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन में सुधार लाना,
(vi) निर्यातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना,
(vii) अनुसूचित उत्पादों के आंकड़ों का संग्रह,
(viii) प्रशिक्षण,
(ix) विशेष उत्पादों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण,
(x) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन आदि कार्यक्रम के लिए सचिवालय।

2. पृष्ठभूमि

2.1 नाशवान कृषि उत्पादों, विशेष रूप से बागवानी उत्पादों को उनकी गुणवत्ता बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय आयात मानकों को पूरा करने के लिए कुशल और समय-संवेदनशील हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। इन उत्पादों की शेल्फ लाइफ कम होने के कारण , इन्हें अक्सर हवाई मार्ग से ही भेजा जाता है। हालांकि, बागवानी निर्यात के लिए हवाई परिवहन काफी बड़ी चुनौती है।

2.2 सबसे पहले, फ्लाइट में उपलब्ध सीमित स्थान परिवहन की जाने वाली मात्रा को सीमित करता है, और फ्लाइट की अनियमितता जटिलता को भी बढ़ाती है। दूसरे, बागवानी उत्पाद आम तौर पर वजन में कम लेकिन मात्रा में अधिक होते हैं , जिसका अर्थ है कि वे कम वजन देते हुए अधिक जगह लेते हैं। यह असंतुलन लॉजिस्टिकल संबंधी चुनौतियाँ पैदा करता है , जिससे भारतीय बागवानी निर्यात के लिए अपनी पूरी क्षमता हासिल करना मुश्किल हो जाता है।

2.3 चूंकि उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है , इसलिए भारत के लिए हवाई परिवहन और नाशवान उत्पादों के प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त , भारत के नाशवान और उच्च मूल्य वाले कृषि निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप और समर्थन की आवश्यकता है। निर्यातकों , विशेष रूप से लघु और एमएसएमई इकाइयों को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकारी समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

2.4 प्रस्तावित क्रॉस कंट्री अध्ययन का उद्देश्य भारत के वायु परिवहन और कार्गो हैंडलिंग प्रथाओं की तुलना इक्वाडोर, अमेरिका, ब्राजील, थाईलैंड और न्यूज़ीलैंड जैसे प्रमुख निर्यातकों से करना है। अध्ययन में सुधार के अवसरों की पहचान की जाएगी और नीतिगत सहायता उपायों की खोज की जाएगी जो निर्यातकों को नाशवान कृषि उत्पादों के हवाई परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रदान किए जा सकते हैं।

3. असाइनमेंट के बारे में:

एपीडा निम्नलिखित उद्देश्यों और कार्य-क्षेत्र सहित अध्ययन करने के लिए परामर्शी/अनुसंधान आदि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित कर रहा है।

4. अध्ययन का उद्देश्य और कार्य-क्षेत्र

(क) नाशवान उत्पादों के लिए भारत की हवाई परिवहन एवं कार्गो हैंडलिंग प्रथाओं का बेंचमार्क:

(i) प्रमुख कृषि निर्यातक देशों के साथ हवाई परिवहन द्वारा नाशवान उत्पादों के प्रबंधन और परिवहन में भारत की प्रथाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना।

(ii) नाशवान कार्गो प्रबंधन में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं, सफलता कारकों और नवाचारों की पहचान करना जिन्हें भारत में अपनाया जा सकता है।

(iii) नाशवान उत्पादों के परिवहन से संबंधित घरेलू एयरलाइन नीतियों की पहचान करना।

(iv) नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता सहित प्रमुख केंद्रों में एयर कार्गो सेवाओं की लागत, क्षमता और क्षमता उपयोग में प्रवृत्ति की पहचान करना।

(ख) भारत में बुनियादी ढांचे और परिचालन चुनौतियों का आकलन करना , तथा नाशवान कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करना:

(i) भारतीय हवाई अड्डों पर नाशवान कार्गो को संभालने के लिए बुनियादी ढांचे और उनकी

परिचालन स्थिति का मूल्यांकन करना

(ii) हवाई परिवहन से संबंधित परिचालन चुनौतियों की पहचान करना , जैसे लोडिंग/अनलोडिंग दक्षता, संगरोध प्रक्रियाएं और सीमा शुल्क निकासी।

(iii)उपरोक्त ख(ii) में सूचीबद्ध मापदंडों के अनुसार नाशवान कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना।

(ग) एयर कार्गो बुनियादी ढांचे में सुधार की अनुशंसा:

(i) नाशवान उत्पादों के लिए हवाई परिवहन की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन और परिचालन सुधार का प्रस्ताव।

(ii) ऐसी नीतियों और प्रथाओं की अनुशंसा करना जो हवाई कार्गो हैंडलिंग की लागत को कम कर सकें और नाशवान निर्यात की गुणवत्ता में सुधार कर सकें।

(iii) वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इन अनुशंसाओं को लागू करने हेतु एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तावित करना।

(घ) निम्नलिखित देशों के लिए नाशवान कृषि कार्गो के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान में लागू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के सरकारी समर्थन की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं का आकलन करना:

(i) विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको
(ii) थाईलैंड, वियतनाम, इक्वाडोर, चीन जैसे समकक्ष देश

5. पात्रता मानदंड:

परामर्शी/अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एजेंसियाँ, चाहे वे सरकारी क्षेत्र की हों या निजी संस्थाएँ, जिनके पास राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में बाज़ार अध्ययन/लॉजिस्टिक अध्ययन करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एनसीआर क्षेत्र में कार्यालय न रखने वाली एजेंसी को बोली लगाने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। केवल वे बोलीदाता ही तकनीकी मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

क्र. सं.	**पात्रता मानदंड**	**अपेक्षित दस्तावेज**
i	एजेंसी विधिक अनुसार एक कानूनी इकाई होनी चाहिए। बोलीदाता एक सरकारी संगठन और उसकी संस्थाएं/सार्वजनिक/भागीदारी/निजी लिमिटेड कंपनी या उसकी सहायक कंपनी होनी चाहिए।	(i) निगमन प्रमाणपत्र (प्राइवेट लिमिटेड/एलएलपी/लिमिटेड कंपनी के मामले में)। (ii) साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म के मामले में)।
ii	जीएसटी पंजीकरण/पैन का विवरण।	प्रासंगिक दस्तावेज़।
iii	बोलीदाता को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाना चाहिए।	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा।

iv	बोलीदाता ने पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी विभागों आदि के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में कम से कम 5 (पांच) बाजार अध्ययन/लॉजिस्टिक अध्ययन पूरा किया हो।	ऐसे अध्ययनों के लिए कार्य आदेशों की सुपाठ्य प्रतियां।
v	एजेंसी को कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में बाजार अध्ययन/लॉजिस्टिक अध्ययन से पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 5 करोड़ रुपये की आय अर्जित करनी चाहिए।	सीए प्रमाणपत्र जिसमें (i) एजेंसी की विद्यमानता की तारीख , (ii) परामर्श/शोध कार्य से पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर और (iii) पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए अध्ययनों की संख्या दर्शाई गई हो , जिस पर एक अभ्यासरत सीए द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (अनुलग्नक-4 के अनुसार)
vi	अध्ययन के टीम लीडर के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए: (क) शिपिंग और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन/लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/संचालन और आपूर्ति श्रृंखला में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)/ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम)। (ख) कम से कम 10 वर्षों का अनुभव। (ग) टीम के प्रमुख के रूप में कम से कम पाँच अध्ययनों पर कार्य किया होना चाहिए। अन्य टीम के सदस्यों के पास शिपिंग और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन/लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/संचालन और आपूर्ति श्रृंखला में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।	टीम लीडर और सदस्यों का बायोडाटा।

6. <u>ईएमडी और कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति:</u>

6.1 "एपीडा" के पक्ष में नई दिल्ली में देय 2 ,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) के डीडी के रूप में तकनीकी बोली के साथ बयाना जमाराशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। असफल बोलीदाता से प्राप्त ईएमडी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता से प्राप्त ईएमडी को पैरा 6.4 के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

6.2 एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसी को ईएमडी जमा करने से छूट सरकारी नियमों के अनुसार लागू होगी।

6.3 सरकारी नियमों के अनुसार , एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति जमा करने से कोई छूट नहीं मिलेगी।

6.4 बोली मूल्य के पांच प्रतिशत (5%) पर कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति चयनित एजेंसी द्वारा जमा की जाएगी। चयनित एजेंसी से प्राप्त 2 ,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) की ईएमडी राशि कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति के लिए समायोजित की जाएगी। यदि अनुबंध मूल्य का 5% 2.00 लाख रुपये से अधिक होता है , तो प्राप्तकर्ता एजेंसी को डीडी के रूप में दो लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। दोनों राशियों को एक साथ लिया गया कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति माना जाएगा। सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

7. सामान्य नियम और शर्तें

(i) अनुमोदित बोलीदाता को पेशेवर, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सेवा प्रदान करना अपेक्षित है और हर समय, भविष्य के कार्यों पर कोई विचार किए बिना एपीडा के हितों को सर्वोपरि मानना होगा, और अन्य असाइनमेंट या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ हितों के टकराव से बचना होगा।

(ii) बोलीदाता को अनुबंध के चयन और निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करना होगा। यदि यह पाया जाता है कि अनुबंध प्राप्त करने हेतु बोलीदाता अनुशंसित बोलीदाता ने संदर्भित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी वाले व्यवहारों में लिप्त है , तो एपीडा किसी भी स्तर पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है और बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर सकता है या फर्म को अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए काली सूची में डाल सकता है।

(iii) एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं/नियोजित श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों का पालन करे।

(iv) एपीडा के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं:

क. अपने विवेकानुसार आवेदन/बोली दस्तावेज जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है|

ख. कीमतें कम करने के लिए चयनित बोलीदाता के साथ बातचीत करें।

ग. अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।

घ. यदि एपीडा की राय में किसी भी समय आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से चयनित पक्ष के साथ अनुबंध रद्द करना , परियोजना को निलंबित करना , यह सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ङ. एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

च. बोली प्रक्रिया के बाद सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध की शर्तों और नियमों में संशोधन करना , यदि एपीडा की राय में ऐसा करना जनहित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

छ. इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए , एपीडा, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

8. चयन प्रक्रिया

8.1 चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक , प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन , चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक-पत्रिका तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना तथा सफल एजेंसी की घोषणा करना शामिल है।

8.2 बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त एपीडा की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिक्षा करें।

8.3 बोलियों का मूल्यांकन:

8.3.1 एपीडा की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की **प्रारंभिक जांच** करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

8.3.2 **बोलियों का मूल्यांकन** दो चरणों में किया जाएगा – पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना।

8.3.3 बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

8.3.4 प्रस्तुति के अंक निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रेडेंशियल के लिए दिए जाएंगे:

क्र.सं.	**मानदंड**	**अधिकतम अंक**
1.	टीम की क्षमता सहित तकनीकी प्रस्तुति- दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली- (i) कार्य-क्षेत्र को समझना (ii) अध्ययन, सैम्पलिंग और कार्यप्रणाली का दृष्टिकोण (iii) मूल्य प्रस्ताव (iv) समयसीमा का पालन (v) कार्य योजना	40

<table>
<tr><td>2.</td><td>सरकारी क्षेत्र से संबंधित अध्ययन करने का अनुभव<table><tr><td>6-10 वर्ष</td><td>8 अंक</td></tr><tr><td>10 वर्ष से अधिक</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में अध्ययन पूरा किया।<table><tr><td>6-10 अध्ययन</td><td>5 अंक</td></tr><tr><td>11-15 अध्ययन</td><td>8 अंक</td></tr><tr><td>15 अध्ययन से अधिक</td><td>10 अंक</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td>10</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण से औसत वार्षिक परामर्श शुल्क।<table><tr><td>10 करोड़ रुपये से अधिक और 20 करोड़ रुपये तक</td><td>5 अंक</td></tr><tr><td>20 से 30 करोड़ रुपये से अधिक</td><td>8 अंक</td></tr><tr><td>20 करोड़ रुपये से अधिक</td><td>10 अंक</td></tr></table></td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>70</td></tr>
</table>

8.4 सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

8.5 चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति पर किया जाएगा। क्यूसीबीएस पद्धति के तहत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

8.6 वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

8.7 चयन समिति अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएँ जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

9. अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश , एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10. विवाचन:

10.1 इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

10.2 दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

10.3 किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।

10.4 इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष , एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

10.5 भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

10.6 मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

11. क्षतिपूर्ति:

एजेंसी बीईडीएफ और उसके अधिकारियों कर्मचारियों को एजेंसी/, उसके उप ठेकेदारों , उपएजेंटों-, कर्मचारियों, आदि द्वारा उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित अनुबंध के तहत उसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न सभी कार्यवाही , कार्यों, हानियों, क्षतियों, व्ययों, लागतों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखेगी, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा, जिसमें ईपीएफओई/एसआईसी सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय/ स्थानीय निकायों/ सरकारी विभागों/ योगदान के भुगतान के लिए देयता शामिल हैं, जिसका सामना बीईडीएफ को अनुबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी समय करना पड सकता है।

12. बौद्धिक संपदा अधिकार:

12.1 एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12.2 एजेंसी एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप- संविदाकारों /कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करेगी।

12.3 एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाएगी।

13. अनुबंध प्रदान करने की जिम्मेदारी:

13.1 चयनित एजेंसी को क्षतिपूर्ति बांड और कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति प्रदान करनी होगी। अनुबंध के मूल्य का पांच प्रतिशत (5%) कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति जमा की जाएगी। चयनित एजेंसी से प्राप्त 2,00,000/- (दो लाख रुपये) की ईएमडी राशि को प्रदर्शन सुरक्षा के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि अनुबंध मूल्य का 5% 2.00 लाख रुपये से अधिक होता है , तो चयनित एजेंसी को कार्य के पुरस्कार के सात कार्य दिवसों के भीतर डीडी के रूप में दो लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। दोनों राशियों को एक साथ कार्य-निष्पादकता प्रतिभूति के रूप में माना जाएगा।

13.2 सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

14. भुगतान की शर्तें:

14.1 अनुबंध मूल्य का 30% तक अग्रिम भुगतान एजेंसी से लिखित अनुरोध पर स्वीकार्य होगा , जिसमें किए गए व्यय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पक्ष में समान राशि के लिए बैंक गारंटी दी जाएगी।

14.2 अग्रिम भुगतान, खंड 13.1 में उल्लिखित कार्य-निष्पादन प्रतिभूति दायित्व की पूर्ति के पश्चात जारी किया जाएगा।

14.3 अनुबंध के मूल्य की शेष राशि निम्नानुसार जारी की जाएगी:

(i) मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर बोली मूल्य का 40%

(ii) एपीडा द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने पर बोली मूल्य का शेष 30% दिया जाएगा।

15. कार्य-निष्पादकता आश्वासन:

अध्ययन शुरू होने की तारीख से **120** दिनों के भीतर पूरा किया जाएग। मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए, एजेंसी पर प्रत्येक सप्ताह या उसके हिस्से के लिए कुल शुल्क का 1% जुर्माना लगाया जा सकता है।

16. तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश:

16.1 सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है तथा उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16.2 तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

16.3 बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की तैयारी और एपीडा को प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

16.4 बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर एपीडा को प्रस्तुत करने से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक- 1 के साथ संलग्न किया जाएं।

16.5 <u>सभी लिफाफों पर बोलीदाता एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो , साथ ही लिफाफों पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल भी लिखा हो।</u>

16.6 प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले एपीडा को आवेदन वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।

16.7 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या उन्हें खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

16.8 विधिवत पूर्ण बोलियां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चार लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी:

लिफाफा I:

इस लिफाफे में ब्याज मुक्त बयाना जमाराशि (ईएमडी) के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 2,00,000/- (दो लाख रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट होगा। लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर **"नाशवान उत्पादों के हवाई परिवहन और कार्गो हैंडलिंग के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर अध्ययन के लिए ईएमडी"** अंकित होना चाहिए।

लिफाफा -II: लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) अनुलग्नक 1 (विधिवत भरा हुआ) और इसके साथ संलग्न सहायक दस्तावेज।
(ii) अनुलग्नक -4 (सीए प्रमाणपत्र)
(iii) अनुलग्नक -5 (कोई ब्लैक लिस्टेड घोषणा नहीं)

यह लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर "**नाशवान उत्पादों के हवाई परिवहन और कार्गो हैंडलिंग के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर अध्ययन**" के लिए तकनीकी बोली लिखा होना चाहिए।

लिफाफा III:

इस लिफाफे में अनुलग्नक-2 के अनुसार वित्तीय बोली होगी।

लिफाफा सीलबंद होना चाहिए और उस पर **"नाशवान उत्पादों के हवाई परिवहन और कार्गो हैंडलिंग के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर अध्ययन" <u>के लिए वित्तीय बोली</u>** लिखा होना चाहिए।

लिफाफा IV: मास्टर लिफाफा:

लिफाफे I, II और III को लिफाफा-IV के अंदर रखा जाएगा और फिर से मुहरबंद कर दिया जाना चाहिए।
इस मास्टर लिफाफे पर निम्न लिखा हो:
"नाशवान उत्पादों के हवाई परिवहन और कार्गो हैंडलिंग के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर अध्ययन"
और इसे निम्नलिखित पते पर जमा किया जाए:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी-चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली - 110 016

बोली-पूर्व बैठक 14 अक्टूबर 2024 (सोमवार) को दोपहर 14:30 बजे एपीडा मुख्यालय, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।

विधिवत पूर्ण बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2024 (सोमवार) 14:30 बजे तक है।

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।

Annexure-1

TechnicalBidfor
"StudyonGlobalBestPracticesforAir-Transport&CargoHandlingof Perishables"

DetailsofAgency
(onthe Letter–HeadoftheAgency)

S.No.	Particulars	Details		Page no.
1	NameofAgency			
2	Address			
3	Name, designation and contact details of authorized signatory including email id and mobile/ telephone no. (PleaseattachAuthorisationLetter)			
4	DetailsofIncorporation/Registration			
5	GSTCertificateofBidderAgency (Please Attach copy)			
6	PanCardofBidderAgency (Please Attach copy)			
7	Detailed Profile of the Agency includingthestaffstrengthonpayroll (DetailedProfilesofTeamMembersshallbe attached)			
8	**TurnoverDetails** Minimum Turnover of Rs. 5 crores per annumduringeachofthelastthreefinancial years, from Market Studies/ Logistic studies inthefieldofagriculture/horticulture/food /agri-business (Please attach CA certificate as per Annexure-4). The turnover shall be in the name of applicant organization only and not that of group/ sister organizations.	**Year**	**Turnover**	
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
9	**ExperienceDetails** Thebiddershouldhavecompletedatleast5 (five) Market Studies/ Logistic studies in the field of agriculture/horticulture/ food /agri- business at national / international level during last five years, for Government Departments.	**Year**	**Work Orders**	
		2019-20		
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
10	Details of Demand Draft for Interest-free Earnest Money Deposit "EMD" for Rs.2,00,000/- (Rupees Two Lakh) in favour of APEDA, New Delhi.			

11	Self-certified copy of Certificate of MSME registered agency issued by respective authority.		
12	Self-Declaration that the agency has not been blacklisted by any Government office/ Government organization. (PleaseAttachdulyfilledinAnnexure-5)		

Declaration

Iherebydeclareandconfirmthatalltheinformationprovidedaboveistrueandnothing has been concealed.
Iagreetoabidebythetermsandconditionsmentionedinthisdocument.
I understand that if at any time, I am found to have concealed/distorted any material information or done any act or omission against the interest of APEDA, my contract shall be summarily terminated without any notice to me.

SignatureofAuthorisedSignatory

(Name and Designation)
SealofAgency

Date:
Place:
E-mailID:
Tel.No.:
MobileNo.:

Annexure-2

FINANCIALBID
"StudyonGlobalBestPracticesforAir-Transport&CargoHandlingof Perishables"

To,
The Secretary,
APEDA,NewDelhi.

Sir,

We,M/s.(Nameofthefirm)offertoundertake**"StudyonGlobalBestPracticesfor Air-Transport & Cargo Handling of Perishables"** in accordance with your tender document dated 7thOctober 2024. Our Financial Bid against the Scope of Work as defined in the tender document is submitted hereunder

Sr. No.	Activity/Component	Amount in Rs.
1	**UndertakingStudyOnAir-FreightOfPerishables-Cost**	
2	**Amountof Applicabletaxes**	
3	**TotalAmount(withtaxes)**	

Total Amountinwords:Rupees….

. IunderstandthatAPEDAisnotboundtoacceptanybidreceived.

.

SignatureofAuthorisedSignatory

(Name and Designation)
SealofAgency

Date:

Place:

Annexure-4

Technical Bid for "Study on Global Best Practices for Air-Transport & Cargo Handling ofPerishables"

C.A.Certificate

I /We, Proprietor / Partner / Director of _____(Nameof CA Firm) do herebyconfirmthatM/s._____ (Bidder), a Proprietorship/Partnership/Companyhavingitsregisteredofficeat _____, having PAN No. _____ andGSTNo._____ which is valid from_____(copy attached) and hereby declare and affirm as under:

1. Thatthebusinessentityisinexistenceinthepresentstatus from..... (date).

2. Thatthedetailsoftheturnoverfrom**ConsultancyFee**(onthebasisofthefinancial statements of the entity) are as follows:

S. No.	**FinancialYear**	**No.ofStudies undertaken**	**Turnover (in Rs.)**
1	**2021-22**		
2	**2022-23**		
3	**2023-24**		

3. Thattheaboveworkwasobtainedintheentity'sownnameandthebilling /paymentwascollectedintheentity'sownbank account.

Declaration

I have independently verified the above-mentioned details with books of accounts,26AS statements, GST Returns and found them to be true and correct

Counter-signed: **Signature:**

SignatureofAuthorized Signatory **Nameanddesignation**

Name and Designation
Partner/Proprietor/Director
SealofAgency **Seal of CAfirm**

Date:

ANNEXURE-5

(Onthe LetterHeadoftheAgency)

TechnicalBidfor"StudyonGlobalBestPracticesfor Air-Transport&Cargo Handling of Perishables"

To

TheSecretary, APEDA,
NewDelhi-110016

Subject:Declarationfornot being Black-Listed

Sir,

With reference to the bid on the subject cited above, I, …… (Name and designation of the authorised signatory) hereby declare and confirm that M/s. … (Name of the Agency) has not been black-listed or declared as ineligible by the Central Government/StateGovernment/PublicSectorUndertakingfromparticipatinginbids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or any unethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

SignatureofAuthorisedSignatory

NameandDesignation

SealofAgency

Date:

Place: